आदेश

मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा उद्यान विभाग हेतु की गयी घोषणा के कियान्वयन हेतु मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–441/XXXV–4/16/11(2)/2016 दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को रू0 3.30 लाख की धनावंटन हुआ है। इस आवंटित धनराशि को मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा **घोषणा संख्या–2189/2015 "स्याल्दे में नागचूलाखाल में उद्यान सचल दल केन्द्र की स्थापना की जायेगी।"** के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन में रू0 3.30 लाख (रू0 तीन लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि रखी गयी है।

जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–2413/भण्डार–उद्यान/2016–17 दिनांक 04.01.2017 के द्वारा रू0 280000.00 की धनराशि के सत्यापित बिलों/बीजकों प्रस्तुत किये जाने उपरान्त रू0 2,80,000.00 (रू0 दो लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि इस कार्यालय के आदेश संख्या–2364/पन्द्रह–59/2016–17 दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उक्त घोषणा हेतु प्राप्त कुल धनराशि रू0 3.30 लाख से रू0 2,80,000.00 (रू0 दो लाख अस्सी हजार मात्र) का भुगतान किये जाने उपरान्त रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) भवन किराये मद की धनराशि अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन में अवशेष है। चूंकि पूर्व में भवन किराये मद की धनराशि सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2017 की आचार संहिता लगने के कारण जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को उपलब्ध नही करायी जा सकी थी।

सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2017 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति उपरान्त जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा को रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) भवन किराये मद की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा किराया औचित्य प्रमाण पत्र के अनुसार नियमानुसार किराये मद की धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। इस कार्यालय के आदेश संख्या–2364/पन्द्रह–59/2016–17 दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा रू0 2,80,000.00 (रू0 दो लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

दिनांक–20.03.2017

ह0/–सविन बंसल
जिला अधिकारी,अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–3393/पन्द्रह–CDC /2016–17, दिनांक 22 मार्च, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–5,/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. अनुसचिव (लेखा), आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यमन्त्री कार्यालय उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
12. जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा।
13. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
15. कार्यालय प्रति।

21-03-17

(विवेक राय)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिला अधिकारी,अल्मोड़ा।